संख्या-9/2018/ 215/33-3-2018-100(33)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 में डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू. 315.75 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- शा/94/2017-आर.जी.एस.ए/19/2017 दिनांक 25.08.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत रू. 541.28 लाख की बजट व्यवस्था निम्नवत मदों में की गयी है:-

	(धनराशि रू. लाख में)
18- डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना	**0.01**
08- कार्यालय व्यय	**60.15**
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**100.00**
42- अन्य व्यय	**310.00**
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**35.13**
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	**36.00**
	योग- 541.28

डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत लेखानुदान अवधि की 5/12वें हिस्से की धनराशि रू. 225.53 लाख (रू. दो करोड पच्चीस लाख तिरपन हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार आय-व्ययक में रू. 315.75 लाख (रू. तीन करोड पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवशेष है। अवशेष धनराशि रू. 315.75 लाख (रू. तीन करोड पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि रू. 315.75 लाख (रू. तीन करोड पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) को उक्त मदों में व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबंधों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-18-डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नामे डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) स्वीकृत की जारी धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वितीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वितीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasnadeshup.nic.in

3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in